रांची में, मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2024 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

01. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 के०वी० चन्दवा–लातेहार एवं 400 के०वी० पतरातू–लातेहार संचरण लाईन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के संबंध में सचिव (पावर) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। **01. स्वीकृत।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

02. राज्य के बी०पी०एल० श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराये जाने संबंधी योजना "मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" के अन्तर्गत नये तीर्थ गंतव्यों को शामिल करने के संबंध में। **02. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

03. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं के अन्तर्गत Land Resource Inventory (LRI) तकनीक के उपयोग हेतु ICAR-National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP), Regional Centre-Kolkata, Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India के मनोनयन के संबंध में। **03. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

04. Construction of New Jharkhand Bhawan at Bangla Sahib Road, New Delhi हेतु राशि– ₹ 105,29,87,500/– (एक सौ पाँच करोड़ उनतीस लाख सतासी हजार पाँच सौ) मात्र के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **04. स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

05. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग–9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। **05. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

06. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशंसित कार्य प्रमण्डल चाईबासा के टोन्टो प्रखण्ड अधीन कुईरा से हाथीबुरू, उसीपी से बोड़ाम भाया मरादिरी तक पथ (लं०–24.94 कि०मी०) की ₹ 3616.076 लाख (छत्तीस करोड़ सोलह लाख सात हजार छः सौ) मात्र की लागत पर पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **06. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

07. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, चतरा प्रमण्डल के सिमरिया प्रखण्ड के अधीन चतरा–राँची पथ जबड़ा से टुनदाग ग्राम भाया अरसेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 348.159 लाख (तीन करोड़ अड़तालीस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **07. स्वीकृत।**

स्कली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

08. राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 7 एवं सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं आवेदित तथा अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा–8 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति। **08. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

09. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–737/वि०, दिनांक–27.03.2018 द्वारा अनुमान्य किये गये परिवहन भत्ता में संशोधन के संबंध में। **09. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

10. W.P.(S) No-2598/2015 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.11.2017 को पारित न्यायादेश एवं तद्नुरूप दिनांक–21.12.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक कोटि (पी०बी०–I, ₹ 5200–20200/–, ग्रेड पे० ₹ 2400/–, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–4) से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी०बी०–II, ₹ 9300–34800/–, ग्रेड पे० ₹ 4600/–, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–7) में शैक्षणिक प्रमाण पत्र की संपुष्टि की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

11. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 08 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PanIIT Alumni Reach for Jhakhand Foundation (PREJHA Foundation) के सहयोग से संचालन किये जाने हेतु अनुमानित व्यय ₹ 77.60 करोड़ (सतहत्तर करोड़ साठ लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

12. पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत ''मुसाबनी–डुमरिया– आस्था–कोईमा से उड़ीसा बोर्डर (कुल लम्बाई–47.30 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य'' हेतु ₹ 25,82,26,800/–(पच्चीस करोड़ बेरासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

13. पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत ''DAV Pundag से DAV Hehal पथ (कुल लम्बाई–1.878 कि0मी0) का चार लेन पथ निर्माण कार्य (भू–अर्जन, R&R, एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)'' हेतु ₹ 102,68,99,200/– (एक सौ दो करोड़ अड़सठ लाख निन्यानबे हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

14. दुमका अन्तर्गत ''गुमरो से घासीमारनी (फतेहपुर) पथ भाया गाड़ापाथर पथ (कुल लम्बाई– 19.920 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू–अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित)'' हेतु ₹ 88,95,98,100/– (अठ्ठासी करोड़ पंचानबे लाख अन्ठानबे हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

15. दुमका जिलान्तर्गत "रानीबहाल (MDR–197 पर) –बलिराम–शहरघाटी भाया रंगलिया– रानेश्वर पथ (चिरूडीह से कारीकादोर लिंक पथ सहित) (कुल लंबाई–14.515 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू–अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabilitation सहित)" हेतु ₹ 65,65,08,800/–(पैंसठ करोड़ पैंसठ लाख आठ हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में। **15. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

16. राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

17. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड पारामेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2024 के गठन के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

मंत्रिमण्ड सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

18. राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य वाह्य कोटि के निजी सहायक (को–टर्मिनस) का वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन करने के संबंध में। **18. स्थगित।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

19. पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र (दिनांक 23.02.2024 से 02.03.2024) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

20. झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 के भाग–II के नियम 3 के उपकंडिका 3.1 (क) V में संशोधन के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

21. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि 03 वर्षों तक विस्तारित किए जाने के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

22. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि 03 वर्षों तक विस्तारित किए जाने के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

23. जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलें के प्राथमिक विद्यालयों/प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों (प्रत्येक विद्यालय में एक) के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्द्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत/मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण हेतु संशोधित प्रस्ताव के संबंध में।	**23. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

24. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 36,64,47,000/- (छत्तीस करोड़ चौसठ लाख सैंतालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**24. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

25. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगाँव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 39,07,85,000/- (उनचालीस करोड़ सात लाख पचासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**25. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

26. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 36,26,39,000/- (छत्तीस करोड़ छब्बीस लाख उनतालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

27. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 39,94,08,900/- (उनतालीस करोड़ चौरानबे लाख आठ हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

28. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

29. राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। **29. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

30. पंचायत सचिवालय के गठन प्रक्रिया हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

31. केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–I अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत '' L040- श्रीरामपुर से काशियाडण्डा तक'' पथ के निर्माण हेतु स्वीकृत ₹ 190.50 लाख को पुनरीक्षित करते हुए कुल ₹ 306.75 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा अतिरिक्त राशि ₹ 116.25 लाख को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

31. **स्वीकृत।**